कर्मण्येवाधिकारस्ते
SHRUSHTI

JUST RIGHTS FOR CHILDREN

बाल श्रम के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

समुदाय के प्रभावशाली लोग जैस ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, शिक्षक, स्वयं सहायता समूहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए

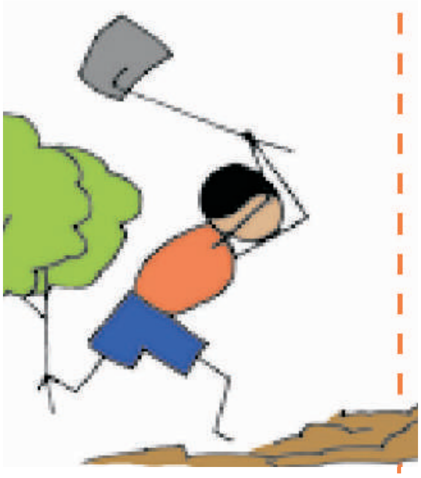

पृष्ठभूमि

बाल श्रम क्या है?

भारतीय ढांचे में हो या अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में, अधिकांश मौजूदा कानूनी और नीतिगत दस्तावेजों में बाल श्रम की अवधारणा और परिभाषा अलग–अलग है।

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौते के (यू.एन. सी. आर.सी.) अनुच्छेद 32 के अनुसार राष्ट्रो का यह दायित्व है कि बच्चों को उन सभी कार्यों से बचाएं जो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा या पिकास के लिए खतरा हो। साथ ही बल्बों की मजदूरी की न्यूनतम आयु निर्धारित करना और उनके रोजगार की शर्तों का नियगन करना भी राष्ट्रो का दायित्व है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) के अनुसार, किसी भी ऐसे कार्य को, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनके बचपन, संभावित क्षमता और सम्मान से वंचित करता है। जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिये नुकसानदेह है, को बाल श्रम कहते है।

इसका अर्थ है ऐसा कार्य:

- जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक रूप से बच्चे के लिए खतरनाक व नुकसानदेह हो
- जो निम्न रूपों में विद्यालय में उसकी शिक्षा में बाधा डालता हो.
  - विद्यालय में उपस्थित होने के अवसर से उन्हें वंचित रखता हो
  - उन्हें बीच में स्कूल की पढ़ाई छोड़ने को मजबूर करे, या
  - उन्हें विद्यालय में उपस्थिति के साथ–साथ काफी समय तक भारी काम करने के लिए मजबूर करे।

भारतीय संविधान, 6–14 वर्ष की आयु के रागी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की मान्यता देता है (अनुच्छेद 21 ए), जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है (अनुच्छेद 23), 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के जोखिमपूर्ण रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है (अनुच्छेद 24) और बच्चों को शोषण से सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त नीतियों की व्यवस्था भी करता है (अनुच्छेद 39)।

बाल श्रम बच्चों को शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित रखता है और साथ ही साथ बाल अधिकारों का उल्लंघन भी करता है। बच्चों का अधिकार है कि आनंदपूर्ण बचपन, अपने अभिभावकों की ओर से सुरक्षा और मार्गदर्शन के साथ शोषण व उत्पीड़न से मुक्त होकर भय रहित और पालन–पोषण कारी वातावरण मिले।

बाल श्रम के मुख्य कारण क्या है ?

1. गरीबी एवं शिक्षा के अवसरों की कमी

♦ गरीबी और निरक्षरता जैसे आर्थिक और सामाजिक कारण।

♦ अपने बच्चों के अधिकारों की पूर्ति कर पाने में परिवारों और समुदायों की खास कर सामाजिक रूप से पिछडे समुदायों की सीमित क्षमता।

♦ शिक्षा की निम्न गुणवत्ता और स्कूल में असमानता सम्बन्धी मुद्दे।

2. जातिगत असमानता

♦ जाति, लिंग, सत्ता संबंधित जैसे सामाजिक व सांस्कृतिक कारण।

3. जागरूकता

♦ बाल अधिकारों और बाल संरक्षण के बारे में परिवारों, समुदायों और सेवा प्रदाताओं के बीच अपर्याप्त जागरूकता।

♦ माता–पिता और समुदाय द्वारा शिक्षा के दीर्घकालिक लाभ को समझा न पाना।

♦ परिवारों को सामाजिक कल्याण योजनाओं और अन्य अनुदानो का अपर्याप्त ज्ञान या जन तक सीमित पहुंच।

4. सस्ता श्रम / मानव संसाधन

♦ बच्चो को आसानी से उपलब्ध होने वाले मानव संसाधन माना जाता है, उनका श्रम सस्ता होता है और वे अपने अधिकारों के प्रति नहीं लड़ पाते।

5. राजनैतिक / नीतियां

♦ बाल संरक्षण कानूनों का कडाई रो लागू न किया जाना और बाल संरक्षण ढांचों का कमजोर होना।

♦ सामुदायिक कार्यवाही का अभाव, अक्सर पंचायतें और ग्राम सभा इस मुद्दे को प्राथनिकता नहीं देतीं।

बाल श्रम के अलग–अलग रूप क्या है ?

मूल रूप से बाल श्रम के निम्न पांच रूप है :

- जोखिमपूर्ण कार्य या श्रम जो बच्चे के शारीरिक, मानसिक और नैतिक कल्याण को खतरे में डालता है । इसके अंतर्गत पत्थर घिसाई, भवन निर्माण, खनन, कांच के बर्तन के उद्योग शामिल है।

- गुलामी, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी जैस बाल श्रम के असहनीय रूप । इसके अलावा सशस्त्र टकरावों और अनैतिक कार्यकलापों के लिए बच्चों को जोर जबर्दस्ती भर्ती करना ।

- बच्चों द्वारा ऐसा कार्य करना जो उनकी आयु के उपयुक्त न हो। यह कार्य बच्चे की शिक्षा और पूर्ण विकास को बाधित कर सकता है।

- बच्चों द्वारा ऐसा श्रम करना जो पारिवारिक आमदनी में योगदान करे या परिवार की आमदनी को बढ़ाये।

- बाल श्रम का छिपा हुआ रूप जैसे कि घरों में गृह–आधारित काम (कृषि कार्य सहित)।

कानून और अधिनियम

बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन के लिये महत्वपूर्ण कानून या अधिनियम क्या है ?

बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 :
कारखानों, खदानों और खतरनाक व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबन्ध लगाता है और अन्य रोजगारों में बच्चों के काम करने की स्थिति को नियंत्रित करता है। अधिनियम के अनुसार 13 खतरनाक व्यवसायों और 57 प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध करता है। इस अधिनियम को लागू करने के लिये राज्य सरकार उचित प्राधिकरण है जबकि, राज्य में श्रम विभाग को लागू करने का अधिकार है।

कारखाना अधिनियम, 1948 : यह अधिनियम किसी भी फैक्ट्री में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर रखना, निषेध करता है। इसमें यह नियम भी बताये गये हैं, कि 15–18 वर्ष के नाबालिगों को कब और कितने समय काम पर रखा जा सकता है।

खान अधिनियम, 1952 : यह अधिनियम 18 साल से कम उम्र के किशोर या बच्चे को किसी खदान में काम करने से प्रतिबंधित करता है।

बच्चों के अधिकार, संयुक्त राष्ट्र महासभा (20 नवम्बर 1989 को पारित) : 11 दिसंबर 1992 को भारत ने बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा पर हस्ताक्षर कर उसकी पुष्टि की थी और इस संबंध में नियमित समय पर रिपोर्ट भी भेजता है। इस अधिनियम के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत ''शामिल देश आर्थिक शोषण और जोखिम भरे अथवा बच्चे की शिक्षा में बाधा डालने वाले अथवा बच्चे के स्वास्थ्य अथवा शारीरिक, मानसिक आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास

कारखाना अधिनियम, 1948 : यह अधिनियम किसी भी फैक्ट्री में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर रखना, निषेध करता है। इसमें यह नियम भी बताये गये हैं, कि 15–18 वर्ष के नाबालिगों को कब और कितने समय काम पर रखा जा सकता है।

खान अधिनियम, 1952 : यह अधिनियम 18 साल से कम उम्र के किशोर या बच्चे को किसी खदान में काम करने से प्रतिबंधित करता है।

बच्चों के अधिकार, संयुक्त राष्ट्र महासभा (20 नवम्बर 1989 को पारित) : 11 दिसंबर 1992 को भारत ने बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा पर हस्ताक्षर कर उसकी पुष्टि की थी और इस संबंध में नियमित समय पर रिपोर्ट भी भेजता है। इस अधिनियम के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत ''शामिल देश आर्थिक शोषण और जोखिम भरे अथवा बच्चे की शिक्षा में बाधा डालने वाले अथवा बच्चे के स्वास्थ्य अथवा शारीरिक, मानसिक आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास के लिये हानिप्रद कार्यों में संरक्षण बच्चों के अधिकार को मान्यता देते हैं। इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक उपाय करेंगे। रोजगार के लिये न्यूनतम आयु अथवा विभिन्न रोजगारों के लिये अलग–अलग न्यूनतम आयु निर्धारित करेंगे।ष

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 : यह अधिनियम जोखिमपूर्ण व्यवसाय में या बंधुआ मजदूरी पर बच्चों को काम पर रखने को अपराध घोषित करता है जिसके लिए कारावास की सजा हो सकती है।

बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 : इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक आस–पड़ौस के किसी

संस्थागत तंत्र

बाल श्रम के उन्मूलन और रोकथाम के लिये संस्थागत कार्यतंत्र क्या–क्या है?

समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना के अन्तर्गत स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा

इस योजना को 2 अक्टूबर 1975 में प्रारम्भ किया गया। आज आई.सी.डी.एस. योजना प्रारम्भिक बाल विकास का सबसे बड़ा और अनूठा कार्यक्रम है। यह परियोजना संबंधित बच्चों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है कि भारत का रूख एक तरफ स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करने की चुनौती और दूसरी तरफ कुपोषण, रोगों, सीखने की क्षमता को बढ़ाना तथा मृत्युदर को कम करना है।

इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं।

- छह साल तक के बच्चों में पोषण और स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि करना।
- बच्चों के मनोवैज्ञानिक, भौतिक और सामाजिक विकास के लिये उचित नींव रखना।
- मृत्यु, रोग–ग्रस्तता, कुपोषण और स्कूल से छूटने की घटनाओं को कम करना।
- बाल विकास को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न विभागों के साथ नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय स्थापित करना।
- बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण जरूरतों को पूरा करने के लिये उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा माता की क्षमता को बढ़ाना।

समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS)

समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) भारत सरकार की एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। यह बच्चों की कुशल व प्रभावी सुरक्षा की व्यवस्था विकसित करने में सरकार ध्‍ राज्य के दायित्वों में योगदान देगी। यह योजना श्बाल अधिकारो की सुरक्षा तथा बच्चे के सर्वोच्च हितश के बुनियादी सिद्धातो पर आधारित है।

इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार है :

- आवश्यक सेवाओं को संस्थापित कर ढांचागत मजबूती प्रदान करना।
- सभी स्तरों पर क्षमतावर्धन करना।
- बाल संरक्षण सेवाओं हेतु डाटाबेस (आंकड़ों पर आधारित) एवं ज्ञान आधार सृजित करना।
- बाल सरक्षण परिवार व समुदाय स्तर पर मजबूत करना।
- विभिन्न क्षेत्रों से सभी स्तरों पर उपयुक्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
- जन जागरूकता बढाना।

सर्व शिक्षा अभियान

रार्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की उपलब्धि के लिये एक समयबद्ध तरीके से प्रमुख कार्यक्रम है। भारत के संविधान में 86 वें संशोधन के रूप में 6–14 वर्ष के बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है।

इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- सभी बच्चों का नामांकन स्कूलों में, शिक्षा गारन्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूलों में एवं ''बैक–टू स्कूल'' कैम्प 2005 में हो।
- उच्च प्राथगिक रतर के राभी बच्चों की धारण शक्ति 2010 तक बढाना।
- नामांकन, धारण क्षमता और सीखने के प्रति सामाजिक असमानता और लिंग भेद को दूर करना।

- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के सीखने की उपलब्धि के स्तरों में महत्वपूर्ण वृद्धि सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

- सरकार ने देश के 12 प्रकोप वाले जिलों में काम करने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिये 1988 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) शुरू की थी।
- इस योजना के अन्तर्गत खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करने वाले बच्चों का सर्वेक्षण तथा पुनर्वास किया गया है। इन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश दिलाया जाता है ताकि बाद में उन्हें औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में सक्षम बनाया जा सके।

श्रम विभाग, राजस्थान

- बाल श्रम की रोकथाम के लिये, विभाग को एक उपयुक्त वातावरण तैयार करना चाहिये। बाल श्रम की रोकथाम के संदर्भ में श्रम विभाग को, विभिन्न नियोजन और कार्यान्वयन कार्यकलापों के लिये, विभिन्न विभागों (आई.सी. डी.एस., स्वास्थ्य, पुलिस, प्रशासन, शिक्षा विभाग आदि) के साथ समन्वय करना होगा। उसे बाल श्रमिकों के बचाव में भागीदारी कर बचाये गये बाल श्रमिकों को, सी.डब्ल्यूसी. या स्वास्थ्य विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ताकि उनकी आयु और स्वास्थ्य स्थिति का प्रमाणित कर, उनके उपयुक्त पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके।
- श्रम विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उदाहरण के लिये ''कंडीशनल कैश ट्रांसफर योजना'' जिसमें बाल श्रमिकों को शिक्षा से जोड़ने एवं कक्षा 5 तक निरंतर शिक्षा देने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

चाइल्डलाइन

चाइल्डलाइन क्या है?

यह देखभाल व सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों के लिए चलायी जा रही 24 घंटे की आपातकालिन फोन सहायता सेवा है। यह पूरे देश में निःशुल्क उपलब्ध है। इसके लिए 1098 पर फोन किया जा सकता है। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय की यह सकारात्मक परियोजना 1996 में शुरू की गयी थी और इस बीच यह गैर–सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों, यूनिसेफ और कॉरपोरेट क्षेत्र की व्यापक साझेदारी बन चुकी है।

चाइल्डलाइन अपने आपको एक राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नेटवर्क मानती है जिसके पास दीर्घकालिक सेवाओं तक पहुंच है। यह चाइल्डलाइन संकट में फंसे बच्चों को मदद मुहैया कराती है।

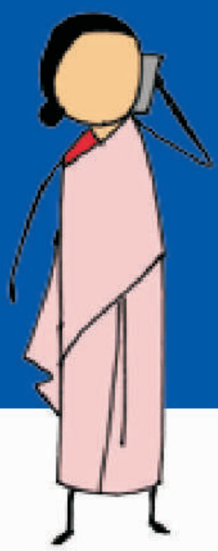

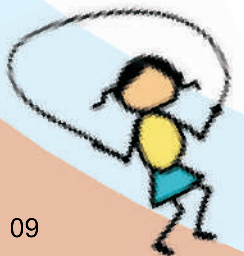

उन सभी बच्चों की देखभाल और सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो बच्चे विशेष रूप से कमजोर वर्ग के हैं :

- गली–कुचों में रहने पाले बच्चे और युवा जो अकेले रहते है
- असंगठित संगठित क्षेत्रों में काम कर रहे बाल श्रमिक
- घरेलू काम के दिए सहायक, विशेष रूप से लड़किया
- शारीरिक /यौन/भावनात्मक रूप से परिवार, स्कूल या संस्थान में बुरे बर्ताव से प्रभावित बच्चे
- ये बच्चे जिगको भावनात्मक समर्थन और मागदर्शन की जरूरत हो।
- व्यावसायिक यौनकर्मियों के बच्चे
- देह व्यापार के बाल पीड़ित
- बच्चों के अवैध व्यापार से पीड़ित बच्चे
- मात–पिता या अभिभावक द्वारा छोड़ दिए गए बच्चे
- लापता बच्चे
- भागे हुए बच्चे
- नशीले पदार्थ लेने के शिकार हुए बच्चे
- विकलांग बच्चे
- कानूनी झगड़ों में फंसे बच्चे
- संस्थानों में कार्यरत बच्चे
- मानसिक रूप से विकलांग बच्चे
- एच.आई.वी. / एड्स से संक्रमित बच्चे
- संघर्ष और आपदा से प्रभावित बच्चे
- राजनीतिक शरणार्थी बच्चे
- वे बच्चे जिनके परिवार संकट में हैं

कर्मण्येवाधिकारस्ते
SHRUSHTI

JUST RIGHTS FOR CHILDREN

बालश्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन में हितकारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

जिलाधिकारी

- जिलाधिकारी, जिला स्तर पर बाल संरक्षण समिति (सी.पी.सी.) का अध्यक्ष होता है। समिति के द्वारा बाल श्रम के संबंध में लिये जाने वाले किसी भी फैसले के लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार होता है।

- क्षेत्रीय स्तर पर बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के संरक्षक होने के नाते उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।

- बाल श्रम की रोकथाम के लिए सभी सम्बन्धित विभागों में उचित समन्वय सुनिश्चित करना, अभिसरण बनाना और निगरानी रखना।

- बाल श्रम से सम्बन्धित किसी भी कार्यवाही के प्रति, श्रम विभाग की ओर से एक सुझाव पत्र भी जिलाधिकारी को दिया जाता है जिसमें कार्य योजना होती है और इसी के आधार पर जिलाधिकारी नोटिस जारी करता है।

श्रम विभाग

- सुनिश्चित करना कि बाल श्रम प्रतिषेध से सम्बन्धित श्रम कानूनों को पूर्ण रूप से लागू कराया जाए तथा बाल श्रम की समस्या एवं प्रभावी प्रवर्तन को एक साथ जोड़ना।
- कर्मचारी राज्य बीमा योजना, स्वास्थ्य विभाग ६ स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारियों की सेवाओं का बाल श्रमिकों की उम्र प्रमाणीकरण के लिये उपयोग किया जाना।
- श्रम विभाग द्वारा मुख्य एजेन्सी के रूप में काम किया जाना तथा राज्य स्तर पर विभिन्न सहयोगी संस्थाओं एवं विभागों के बीच तालमेल स्थापित कराना।
- सरकारी कर्मचारियों तथा सामाजिक सस्थाएँ (छळव) के माध्यम से आंकड़ों का संग्रह एवं संकलन कराना।
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को प्रभावी रूप से लागू करना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था एवं सेमिनारों ६ कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- 12 जून को प्रत्येक वर्ष बाल श्रम विरोध दिवस माना जाये।

- जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाना तथा नियमित बैठकें एवं प्रवर्तन की कार्यवाही किया जाना।

- स्वयंसेवकों / गैर–सरकारी स्वैच्छिक संगठनों, चिकित्सकों और प्रवर्तन अधिकारियों को मिलाकर ''बाल श्रम दस्ता'' बनाना।

- प्रवर्तन अधिकारियों से प्रतिमाह संयुक्त छापे डलवाना।

- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग।

- जहां भी बाल श्रम की सूचना मिले, वहां पर प्रवर्तन की कार्यवाही करके बच्चों को मुक्त कराना तथा उन्हें बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी.) और स्वास्थ्य विभाग के सामने उनकी उम्र तथा स्वास्थ्य के सत्यापन के लिये प्रस्तुत करना।

- सुनिश्चित करना कि जिले में ऐसा कोई भी बच्चा न हो जो किसी भी प्रकार के श्रम में शामिल हो।

- जनपद को बाल श्रम मुक्त जनपद घोषित किए जाने हेतु हर संभव प्रयास करना ।

- विभिन्न प्रकार के पंजीयन / लाईसेन्स / नवीनीकरण करते समय नियोजकों से बाल श्रमिकों के नियोजित न किए जाने का प्रमाण–पत्र / शपथ–पत्र दिया जाये।

बेसिक शिक्षा विभाग

- स्कूल न जाने वाले बच्चों का और उनके कारणों को चिन्हित किया जाना।
- सर्वेक्षण के द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खतरनाक और गैर खतरनाक व्यवसायों का अलग–अलग विचरण इकट्ठा करना।
- स्कूल में बच्चों का वास्तविक नामांकन करके उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करना।
- अध्यापकों के प्रशिक्षण एवं विभाग द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों में बाल श्रम के मुद्दों को सम्मिलित करना और इसे सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना (नि.शुल्क पुस्तक, ड्रेस)।
- बाल श्रमिक बच्चों के स्कूल में प्रवेश के लिये जन्म/आयु प्रमाण–पत्र या अन्य अभिलेखो के साक्ष्य उपलब्ध कराने पर जोर न देना।
- प्रवासी कर्मकारों के बच्चों, अनाथ / घर से भागे बच्चों के लिये आवासीय विद्यालय की स्थापना के लिये प्रयास करना।
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के साथ–साथ बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण (कार्य–अनुभव) दिया जाना।
- बाल श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा और विशेष विद्यालय की शिक्षा के लिये भी प्रमाण–पत्र दिया जाना।
- बाल श्रमिक बच्चों के माता–पिता के लिये प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाना ताकि परिवार में शैक्षिक माहौल तैयार हो सकें।
- सुनिश्चित करना कि स्कूल में आधारभूत सुविधाओं जैसे–पानी, बालिकाओं के लिये प्रसाधन कक्ष आदि की व्यवस्था कराई जाएं।

नगरीय विकास विभाग

- सुनिश्चित करना कि सभी शहरी निकायों द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिये अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए।
- लाइसेन्स / अनुमति प्रदान करते समय आवेदकों से बाल श्रमिकों को काम पर न रखने का सहमति पत्र लेना। इसके उल्लंघन की दशा में जारी लाइसेन्स / अनुमति रद्द कर दिया जाना चाहिये।
- शहरी स्थानीय निकायों के सभी क्रियात्मक इकाईयों, परिषदों के सदस्यों, आयुक्तों एवं क्षेत्रीय क्रियात्मक ईकाईयों को बाल श्रम नियोजन के विरूद्ध संवेदनशील करने एवं जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- बाल श्रम परिवारों के स्वयं सहायता समूहों का गठन करके उन्हें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से लाभ पहुंचाना।
- प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र को 'बाल श्रम मुक्त' घोषित करने के लिये बाध्य हो।
- बाल श्रम मुक्त / घोषित शहरी क्षेत्र को पुरस्कृत करना।
- 12 जून को प्रत्येक वर्ष बाल श्रम विरोध दिवस माना जाये।

ग्रामीण विकास विभाग

- विकास खण्डों में इस कार्य योजना को लागू करने हेतु संस्थागत ढांचा तैयार करना।
- लाइसेन्स/अनुमति प्रदान करते समय आवेदकों से बाल श्रमिकों को काम पर न रखने का सहमति पत्र लेना। इसके उल्लंघन की दशा में जारी लाइसेन्स / अनुमति रदद् कर दिया जाना चाहिये।
- बी.डी.सी. सदस्यों सहित विकास खण्ड के सभी क्रियात्मक ईकाईयों के लिये बाल श्रम नियोजन के विरूद्ध संवेदनशील करने एवं जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- बाल श्रम में लिप्त बच्चों के परिवारों को स्वयं सहायता समूहों का गठन करके उन्हें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से लाभ पहुंचाना।
- बाल श्रम प्रभावित परिवारों के वयस्क सदस्यों को ''मनरेगा योजना'' के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित करना।
- प्रत्येक विकास खण्ड अपने क्षेत्र को ''बाल श्रम मुक्त'' घोषित करने के लिये बाध्य हो।
- ''बाल श्रम मुक्त'' घोषित विकास खण्ड को पुरस्कृत करना।
- 12 जून को प्रत्येक वर्ष बाल श्रम विरोध दिवस माना जाये।

समाज कल्याण विकास विभाग

- विकास खण्डों में इस कार्य योजना को लागू करने हेतु संस्थागत ढांचा तैयार करना।

- लाइसेन्स / अनुमति प्रदान करते समय आवेदकों से बाल श्रमिकों को काम पर न रखने का सहमति पत्र लेना। इसके उल्लंघन की दशा में जारी लाइसेन्स / अनुमति रदद् कर दिया जाना चाहिये।

- विभाग की सभी ईकाईयों को बाल श्रम नियोजन के विरूद्ध संवेदनशील करने एवं जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

- बाल श्रम परिवारों के स्वयं सहायता समूहों का गठन करके, उन्हें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से लाभ पहुंचाना।

- बाल श्रमिक और उसके परिवार को विभाग की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे – वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति, आश्रम पद्धति विद्यालयों आदि से आच्छादित करना।

स्वास्थ्य विभाग

- विशेष विद्यालयों / वैकल्पिक विद्यालयों / औपचारिक विद्यालयों में बाल श्रम से मुक्त कराये गये बच्चों के लिये स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमों और सार्वाधिक स्वास्थ्य परीक्षण को लागू करना।

- सुनिश्चित करना कि बाल श्रमिकों का सही उम्र प्रमाण–पत्र योग्य चिकित्सकों द्वारा जारी किया जाए तथा यदि आवश्यक हो तो प्रवर्तन अधिकारियों को निरीक्षण के समय चिकित्सक उपलब्ध कराना।

- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना में अध्ययनरत बीमार बच्चों के लिये निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- सभी अवैध चिकित्सा प्रमाण–पत्रों को चिकित्सक बोर्ड के पास परीक्षण के लिये भेजने हेतु जिलाधिकारियों को अधिकृत करना तथा आवश्यकता होने पर दण्डात्मक कार्यवाही करना।

- प्रवर्तन कार्य में चिन्हित बाल श्रमिकों का आयु परीक्षण कर उनकी आयु का निर्धारण करना।

पुलिस विभाग

- पुलिस निरीक्षकों द्वारा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा–16 में दिये गए अधिकारों को प्रयोग में लाना तथा इस अधिनियम के उल्लंघन की दशा में सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज कराना।
- बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने हेतु छापे डालने के समय निरीक्षकों एवं अन्य पदाधिकारियों को सुरक्षा उपलब्ध कराना।
- गैर–सरकारी स्वैच्छिक संगठनों, श्रम संघों और विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा जन–जागरण और संवेदनशीलता के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के लिये एस्कार्ट्स तथा सुरक्षा उपलब्ध कराना।
- बच्चों को बाल श्रमिक गतिविधियों से निकालकर बाल कल्याण समिति को सुरक्षित रूप से सुपुर्द करना।
- बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता से पेश आना। उन्हें हथकडी लगाना, रस्सी या चेन से बांधना या फिर पुलिस थाने में बंद करना मना है।
- प्रत्येक थाने में बाल कल्याण अधिकारी की नियुक्ति करना।

राजस्व विभाग

- ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को प्रभावशीलता से लागू करना और खतरनाक प्रक्रियाओं में लिप्त बच्चों को चिन्हित करना तथा बाल श्रमिकों को मुक्त कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना, जिसके लिये वे निरीक्षक घोषित हैं।

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में जारी किये गए वसूली प्रमाण–पत्रों की धनराशि को प्राथमिकता के आधार पर वसूलना।

- भूमि–हीन परिवारों को जमीन का पट्टा प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करना।

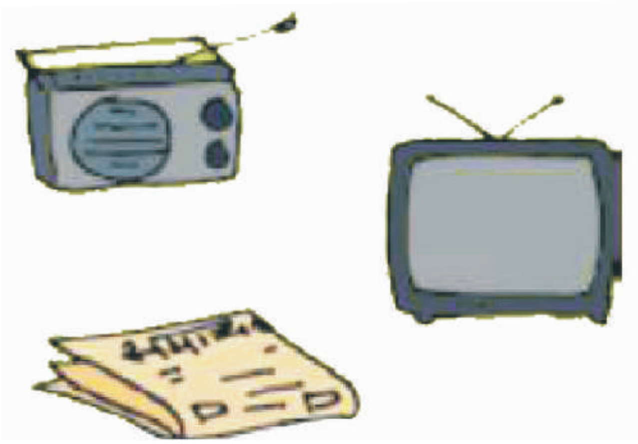

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

- बच्चों को काम की बजाय स्कूल भेजने हेतु प्रोत्साहित करने का माहौल बनाने हेतु जनता के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार कार्यक्रम चलाना।
- मीडिया और अन्य संसाधन समूहों, प्रचार एजेन्सियों को सम्मिलित करते हुए गैर–सरकारी स्वैच्छिक संगठनों और बाल श्रम उन्मूलन जनपद समितियों के सहयोग से सामाजिक लामबन्दी के कार्यक्रम के द्वारा श्रमिकों के सफल पुनर्वासन की कहानियों को मुख्य रूप से प्रचारित करना।
- सरकारी योजनाओं से सम्बन्ध में जागरूकता हेतु अभियान चलाना, विशेषकर बाल श्रम पुनर्वासन से सम्बन्धित योजनाओं के सम्बन्ध में।
- 12 जून को प्रत्येक वर्ष बाल श्रम विरोध दिवस माना जाये।

पंचायती राज विभाग

- पंचायती राज विभाग की संस्थाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष 12 जून को बाल श्रम विरोध दिवस के रूप में मनाना जाये।
- पंचायती राज विभाग की संस्थाओं द्वारा घोषणा करना कि वे बाल श्रम उन्मूलन एवं मुक्त बाल श्रमिकों के पुनर्वासन के लिये संकल्पबद्ध हैं।
- यह सुनिश्चित किया जाये कि ग्राम पंचायतों के क्षेत्राधिकार में 14 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा कार्य न करे और ग्राम सभा की मासिक बैठकों में एजेंडा बिन्दु के रूप में इस तथ्य का अनुश्रवण करना।
- पंचायती राज संस्थानों द्वारा कराये जा रहे कार्यों के लिये दिये गये लाइसेन्स को बाल श्रम कराने की दशा में निरस्त करना।
- ग्राम पंचायत, ग्राम शिक्षा समिति के साथ पंचायत के सदस्यों, गांव के बुजुर्गों, अध्यापकों, अभिभावकों, कर्मचारियों और एन.जी.ओ. के साथ शिक्षा व्यवस्था का अनुश्रवण करें व यह सुनिश्चित करायें कि शत प्रतिशत बच्चों का न केवल नामांकन हो, अपितु उनका ठहराव भी सुनिश्चित हो।
- ग्राम पंचायत को अपने क्षेत्राधिकार में बाल श्रम कराये जाने की शिकायत प्राप्त होने की दशा में श्रम विभाग के निरीक्षक / कारखाना निरीक्षक को सूचित करना अनिवार्य होना चाहिए।
- बाल श्रम मुक्त घोषित पंचायत को पुरस्कृत करना।
- नवयुवक मंगल दल एवं नेहरू युवा केन्द्रों का प्रयोग बाल श्रम प्रथा के विरूद्ध सामाजिक जागरूकता / लामबन्दी के लिये करना।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग

- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के विद्यालयों में व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु चिन्हित ट्रेडों के लिये तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- शिक्षा को रोजगार से जोड़ने हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व्यवसायिक प्रशिक्षण को लागू करना।
- परम्परागत कला एवं शिल्प के लिये पाठ्यक्रम लागू करना।
- 14 वर्ष की आयु एवं प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर चुके / शिक्षा की मुख्य धारा ड्रॉप आउट बाल श्रमिकों को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की स्किल डेवलपमेन्ट इनिशिएटिव स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित करना।

महिला एवं बाल विकास विभाग

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने कार्य का समय प्राथमिक विद्यालयों के लिये निर्धारित समय के साथ रखें, जिससे बालिकायें अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल हेतु स्कूल आने से वंचित न रह जायें।
- बालिकाओं के लिये निर्मित कानूनों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों और सुविधाओं की सुरक्षा के लिये जनसामान्य के विचारों को अभिप्रेरित करना।
- विभिन्न संस्थाओं, संगठनों और उद्योगों में बाल श्रमिकों के चिन्हीकरण में मदद करना।
- बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराई के विरूद्ध सम्बन्धित समुदायों में जागरूकता पैदा करना।
- किशोर न्याय अधिनियम 2000 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।
- अनाथ, घर से भागे तथा भीख मांगने वाले बच्चों को चिन्हित करने के लिये सर्वेक्षण कराना तथा उन्हें तात्कालिक संरक्षण उपलब्ध कराना व पुनर्वासित करना।
- चिन्हित बच्चों का शैक्षिक पुनर्वासन सुनिश्चित करना तथा घर से भागे एवं अनाथ बच्चों के लिये आश्रय / संरक्षण गृह उपलब्ध कराना।
- सभी जिलों में सी.डब्ल्यू.सी. का गठन एवं उन्हें सक्रिय व संवेदनशील करना।

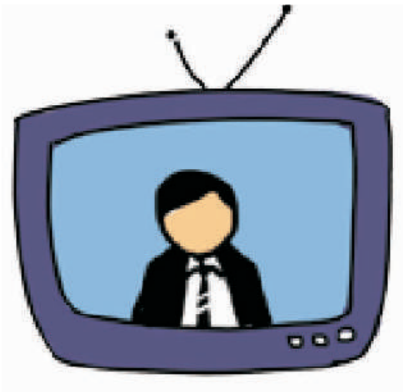

मीडिया

- बाल श्रम के मुद्दे पर नियमित रूप से लेखों के माध्यम से जन सामान्य को संवेदनशील बनाना।
- बाल श्रम की घटनाओं को और विशेष रूप से जोखिमपूर्ण गतिविधियों में लिप्त बाल मजदूरी की घटनाओं को प्रमुखता से उठाना।
- बाल श्रम के मुद्दे के संदर्भ में प्रशासन पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाना।
- बच्चों के हित और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, उनके अधिकारों के लिये आवाज उठाना एवं पैरवी करना।

मीडिया रिपोर्टिंग या पत्रकारिता के सिद्धांत

- सुनिश्चित करना कि लेख छपने के कारण बच्चे को खतरा या अत्याचार का शिकार न होना पड़े।
- उसकी पहचान का खुलासा उसकी अनुमति के बिना नहीं करना, खासकर यदि वह किसी गंभीर या दर्दनाक परिस्थिति का सामना कर रहा/रही हो।
- यदि बच्चे की पहचान का खुलासा करने से उसकी परिस्थिति पर या किसी मुद्दे पर जिससे वह जुड़ा हो एक सकारात्मक असर हो, तो यह कदम उठाना है।
- बच्चे की राय और शब्दों को निश्चित करने के लिए, दूसरे जिम्मेदार स्रोतों से जांच करना।

सामाजिक संस्थाएं

- बाल श्रम के शोषण को चिन्हित कर, उसकी निंदा करना, बाल अधिकारों और नीति निर्धारण के लिये पक्षों का जुड़ाव कर पैरवी करना और बाल श्रमिकों एवं उनके परिवारों को सीधे सेवायें उपलब्ध कराना।
- बाल अधिकारों के प्रोत्साहन को सक्रिय कार्यक्रमों की व्यवस्था कर उनका क्रियान्वयन करना।
- बाल अधिकारों और बाल श्रम को समाप्त करने के लिये अभियान चलाना एवं बाल श्रम के ठोस मामलों को प्रचारित करने के लिये विभिन्न पहलों और आंदोलनों की शुरुआत करना।
- बाल श्रम को एक गंभीर जोखिम दिखाते हुये गतिविधियों और काम के स्थानों का दस्तावेजीकरण करना और उचित कानून तथा नियमों को लागू करने की असफलता में कमियों को दिखाना।
- बाल अधिकारों के संरक्षण के बारे में आवश्यक परिवर्तनों के लिये परिवार और समुदाय के विचारों को प्रोत्साहित करना।
- सफलता पूर्वक बाल श्रम को समाप्त करने के लिये समाज के सभी क्षेत्रों के सरकारी और व्यक्तिगत समर्थन को प्रकाश में लाना।

किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)

किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.) का गठन राज्य सरकार द्वारा, गैर–कानूनी गतिविधियों में फंसे बच्चों से जुड़े मसलों पर कार्रवाई करने के लिए किया गया है।

- बोर्ड के पास मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट / ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की शक्तियां होती हैं। इसकी कार्रवाई बच्चों के लिए घर जैसे अनुकूल वातावरण में होनी चाहिए।

- बोर्ड के सामने पेश किये जाने वाले बच्चों को हथकड़ियों में, रस्सी अथवा चेन से बांधकर नहीं लाया जाना चाहिए।

- बच्चों के साथ बाल अनुकूल ढंग से बातचीत और आंकलन किया जाना चाहिए।

बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी.)

सरकार ने प्रत्येक जिले में जरूरतमंद बच्चों की देखभाल व सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए बाल कल्याण समिति का गठन किया है। इस समिति की मुख्य जिम्मेदारी बाल कल्याण सुनिश्चित करना और बच्चों की सुरक्षा और भलाई के लिये प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों की आवश्यक जांच का संचालन एवं बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधान लागू करना है।

जरूरतमंद बच्चों की देखभाल व सुरक्षा, उपचार, विकास व पुनर्वास के मामलों में और वैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए जिला स्तर पर सी.डब्ल्यू.सी. ही सर्वोच्च संस्था होती है। सी.डब्ल्यू.सी. मुख्य रूप से ऐसे बच्चों के मामलों को संभालती है जिनको देखभाल व सुरक्षा की जरूरत है। ऐसे बच्चे, गैर–कानूनी गतिविधियों में फसे बच्चों या किसी अपराध के शिकार अथवा प्रत्यक्षदर्शी बच्चों से भिन्न श्रेणी में आते हैं।

इसके अलावा बाल कल्याण समिति को निम्न अधिकार भी हैं :-

- जनपद और राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग की सहायता से बच्चों की सुरक्षा और देखभाल में शामिल पुलिस विभाग, श्रम विभाग और अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना।
- उपरोक्त में से किसी के लिये भी सामाजिक जांच, पुनर्वारा और बहाली सहित कम्पनियों के साथ, गैर सरकारी संगठनो के साथ और जब भी जरूरत पड़े, सम्पर्क एवं नेटवर्क रखना।

- मामलों की देखभाल और सुरक्षा की दृष्टि से जुविनाइल जस्टिस बोर्ड के साथ सम्पर्क बनाये रखना।
- राज्य सरकार की सहायता के साथ संस्थानों का भ्रमण करना जहां बच्चों को देखभाल और सुरक्षा के लिये भेजा जाता है अथवा बच्चों को गोद लेने के लिये संस्थानों की स्थितियों की आवधिक आधार पर समीक्षा एवं आवश्यक कार्यवाही करना।
- बाल श्रम से मुक्त कराये हुए बच्चों को प्रमाण पत्र दिलाने के लिये श्रम विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना, जिसके आधार पर वह सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाये।
- घर से खोये बच्चों, अज्ञात या अनाथ बच्चों को प्रशासन के सामने लाना, बाल गृह में भेजना और उनके घर का पता करके उन्हें घर तक पहुंचाना।
- बाल श्रमिकों से संबंधित सूचना मिलने पर उनको पुलिस द्वारा बाहर निकलवाना एवं उनकी चिकित्सा जांच करवाना। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि बच्चों के बाल श्रमिक पाये जाने पर, पुलिस की पकड़ में आने पर पुलिस उनसे अभद्र और आम अपराधी की तरह व्यवहार न करे।
- चिकित्सा की जांच के बाद, बाल श्रमिकों को बाल गृह में भेजना या उनके घर का पता कर उन्हें घर पहुंचाना।
- बच्चों के माता–पिता या अभिभावक या व्यक्ति को आवश्यक निर्देशों सहित बच्चों की पुनर्वास और बहाली सुनिश्चित करना।
- लौटाए गए / छोड़ दिये गए बच्चों को गोद लेने के लिए कानूनन उपलब्ध घोषित करना।
- बाल / किशोर सुधार गृहों की कार्य प्रणाली की भी समय–समय पर समीक्षा करना।
- बच्चों की प्रगति की आवधिक समीक्षा को बनाये रखना और प्रत्येक 15 दिन में नियमित रूप से फॉलोअप करना। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक मामलों में से एक–एक मामले का विस्तृत अभिलेख और मामलों के सारांश के साथ उनका दस्तावेज बनाये रखना।

बाल संरक्षण समिति (सी.पी.सी.)

बाल संरक्षण समिति या सी.पी.सी में बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने व बनाए रखने के लिए दायित्वबद्ध व्यक्तियों का एक समूह होता है। इस समिति का गठन समेकित बाल सुरक्षा योजना (आई.सी.पी.एस.) के तहत किया जाता है। इस त्रिस्तरीय समिति (ग्राम, ब्लॉक एवं जिला) का यह दायित्व, बाल श्रम को रोकना तथा बाल श्रमिकों को श्रम के क्षेत्रों से निकाल कर समाज की मुख्य धारा में लाना है ताकि इन बच्चों को भी समान मौके मिलें और वे दूसरों की तरह सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें।

सभी स्तर की समितियों को इस तरह काम करना होता है कि उनका काम दूसरे संबंधित सरकारी व नगर समाज समूहों व संस्थाओं के साथ समन्वयन में चले। ये बहुत ही जरूरी है कि समुदाय आधारित बाल सुरक्षा कार्यक्रमों में स्थानीय और जिला स्तरीय अधिकारी / विभाग भी शामिल हों। यह संबंध सी.पी.सी. को मजबूती देता है जिससे ये समिति बच्चों के उत्पीड़न, उपेक्षा, शोषण व हिंसा के ऐसे किसी भी मामले को ज्यादा आसानी से उठा सकती है जो आपराधिक किस्म का है या कानून के खिलाफ जाता है।

समुदाय आधारित बाल सुरक्षा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण काम ये है कि समुदाय में बाल सुरक्षा तथा बाल अधिकारों की जरूरत के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा की जाए। ऐसा करने से इस तरह की स्थितियों के संकेत व प्रभावों, संबंधित बाल सुरक्षा कानूनों और बच्चों पर ऐसी हिंसा से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में संवेदनशीलता पैदा होती है।

सी.पी.सी. के सदस्यों के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि वह बच्चों की बात सुनें और समुदाय में बेहतर बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को मजबूती देने के लिए नियमित रूप से बाल समूहों या समितियों के साथ बातचीत करते रहें। सी.पी.सी. के सदस्यों को, समुदाय के सभी सदस्यों, खासतौर से सबसे वचित समूह के सदस्यों को भी संपर्क में रखना चाहिए और बाल सुरक्षा के बारे में उनके अधिकारों पर ध्यान देना चाहिए। समुदाय को साथ संपर्क रखना सी.पी.सी. का एक बुनियादी मूल्य होना चाहिए।

जिला स्तरीय

जिला स्तर पर गठित यह समिति जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कार्य करती है। इस समिति में श्रम विभाग, आई.सी.डी. एस., शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, पत्रकारों के प्रतिनिधि एवं ब्लॉक प्रभागीय अधिकारी व समाज सेवी शामिल होते हैं।

जिला स्तरीय समिति समेकित सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन पर निगरानी रखती है। इसके तहत अनेक विभागों के साथ समन्वय बनाना और जिला आधारित संकेतक पर खास निगरानी रखना।

ब्लॉक स्तरीय

यह समिति ब्लॉक स्तर पर बाल श्रम के मामलों पर कार्य करती है। इस समिति में मुख्य रूप से पत्रकार, समाजसेवी, आई.सी.डी.एस., ब्लॉक शिक्षा विभाग (बी.एस.ए.), एवं स्वास्थ्य विभाग (एम.ओ. आई.सी.) के प्रतिनिधि होते हैं। इस समिति का नेतृत्व मुख्यतः सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या ब्लॉक प्रभागीय अधीकारी द्वारा किया जाता है।

ग्राम स्तर पर जो कार्य, समिति करती है उसको ब्लॉक स्तर पर प्रभावी बनाना। ग्राम और जिला स्तर के सहभागियों के साथ और सामाजिक संस्थाओं के साथ समन्वय बनाना।

ग्राम स्तरीय

ग्राम स्तर पर बनी समिति में 13 से 20 सदस्य होते हैं। इस समिति में अध्यापक, अभिभावक, पंचायत प्रतिनिधि व बाल समूह के प्रतिनिधि शामिल होते है। सामान्यतः इस समिति का नेतृत्व ग्राम प्रधान करता है।

ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण की सेवाओं के क्रियान्वयन पर सुझाव देना और निगरानी रखना।

ग्राम स्तरीय अधिकारी

ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षक, धार्मिक नेता, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, पंचायत के सदस्य, स्वयं सहायता समूह, किशोरी समूह, माता–पिता, देखभालकर्ता और समुदाय के सदस्य।

- बाल श्रग की रोकथाग के प्रति ग्राग स्तर पर कदग उठाना।
- ग्रामीण समाज के बीच बाल श्रम के प्रति जागरूकता फैलाना जिसमें स्कूल जाने के लिये और शिक्षा के प्रति एवं बाल श्रम के विरूद्ध ज्यादा जोर देना सुनिश्चित हो।

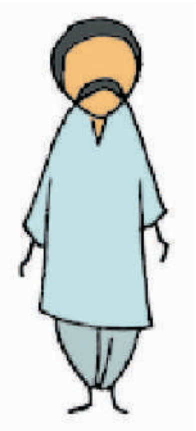

ग्राम प्रधान

- यह सुनिश्चित करना कि पंचायत क्षेत्र में बाल श्रम न हो। ग्राम पंचायत में यदि बाल श्रम हो रहा है तो उसकी सूचना पुलिस या बाल कल्याण समिति तक पहुंचाना।
- सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं अच्छी तरह से कार्यान्वित करना और ग्राम के गरीब परिवारों तक कल्याणकारी व रोजगार योजनाओं का लाभ पहुंचाना, सुनिश्चित करना ताकि वे गरीबी के कारण अपने बच्चों से मजदूरी कराने के लिये बाध्य न हों।
- यह सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत के स्कूलों में शैक्षिक व्यवस्था व उत्साहजनक वातावरण और बुनियादी सुविधाएं ऐसी हों कि बच्चे पढ़ने के लिये उत्सुक हों और ड्रॉप आउट न हों।

- स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना ताकि स्कूल आने में बच्चों को रूचि पैदा हो तथा उनको लाभ प्राप्त हो।

- बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराई के प्रति समुदाय को जागरूक करना।

विद्यालय प्रबंधन समिति

- इसका मुख्य दायित्व स्कूल के कामकाज की मॉनीटरिंग करना और उसके वित्तीय कार्य का प्रबंधन करना है।

- यह सुनिश्चित करना कि स्कूल के सभी कर्मचारी बच्चों को पढ़ाई का वातावरण प्रदान करने के लिये अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।

- बच्चों के शोषण या उनके साथ हिंसा के मुद्दोंध् घटनाओं के बारे में उपयुक्त अधिकारियों को सूचित करना।

- बाल संरक्षण योजनाओं के बारे में जागरुकता पैदा करना और इस संबंध में उपयुक्त जानकारी प्रदान करना कि, ऐसे मामलों में किन अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।

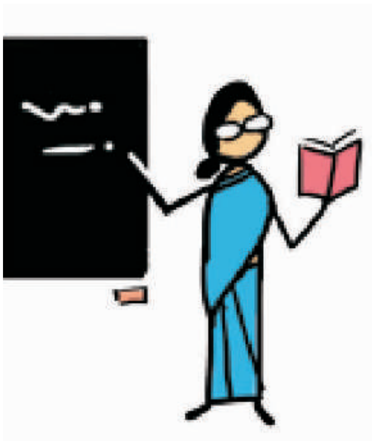

शिक्षक

- समुदाय में और विशेष रूप से पिछड़े समुदायों में बाल श्रम के प्रति जागरूकता फैलाना जिससे वे लोग अपने बच्चों को काम पर न भेजें और समस्याओं के लम्बे समय के समाधान के रूप में शिक्षा के महत्व को समझें।

- समुदाय के परिवारों को उत्साहित करना और यह समझाना कि बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराएं, उन्हें ड्रॉप आउट न होने देना और शिक्षा में निरंतरता बनाये रखना जरूरी है।

- यह सुनिश्चित करना कि स्कूल में बच्चों के साथ न तो स्कूल प्रशासन की ओर से और न ही बच्चों की तरफ से जाति, धर्म, गरीबी आदि के आधार पर कोई भेदभाव हो। सभी के प्रति समानता की भावना होनी चाहिये और सभी को समान अवसर मिलने चाहिये।

- सुनिश्चित करना कि शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली सरकारी योजनायें जैसे मिड–डे मील, ड्रेस और किताबों का मुफ्त वितरण, छात्रवृत्ति, आदि का सही एवं पारदर्शी क्रियान्वयन हो।

- ग्राम प्रधान और स्कूल प्रबंधन समिति के साथ समन्वय बनाकर यह सुनिश्चित करना कि उपरोक्त जिम्मेदारियों और भूमिकाओं का क्रियान्वयन उचित रूप से हो रहा है।

धार्मिक नेता

- बाल श्रम और शिक्षा के मुद्दों को ग्राम सभा की बैठकों में उठाना ताकि इन मुद्दों को लेकर समुदाय में जागरुकता पैदा हो।

- ग्राम प्रधान, स्वयं सहायता समूहों, समुदाय आधारित संगठनों के साथ नियमित बैठकों में भाग लेना और समुदाय के भीतर बाल श्रम की रोकथाम में सहायता करना।

स्वयं सहायता समूह और किशोरी समूह

- शिक्षा के महत्व और बाल श्रम के दीर्घकालिक दुष्प्रभावों के बारे में समुदाय को ज्ञान प्रदान करना।
- ग्राम प्रधान, धार्मिक नेताओं, समुदाय आधारित समूहों के साथ, नियमित रूप से बैठकों में भाग लेना और समुदाय में बाल श्रम पर रोक लगाना।

माता-पिता, देखभालकर्ता और समुदाय के सदस्य

- बच्चे को काम पर भेजने के दीर्घकालिक प्रभावों और नुकसान का ज्ञान होना।
- शिक्षा के महत्व को समझना और बच्चों को स्कूल भेजना।
- विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं और अनुदानों का ज्ञान होना और उनके लाभ सुलभ कराना।

SHRUSHTI

SHRUSHTI SEVA SAMITI

22, Sarvottam Complex, Road No. 5, Behind Vaishali Apartment,
Hiran Magri, Udaipur, Rajasthan-313002